तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4134/2005/बाडमेर निम्बा बनाम मीरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.2020	**खण्डपीठ** **श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता रेस्पो0 **निर्णय** यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–06–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 मीरा के पिता जानू ने एक वाद विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी मु0 बाडमेर के समक्ष अतंर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी ख0न0 305 मिन रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि आवंटन कमेटी ने दिनांक 07.9.1972 को आवंटन किया। तत्पश्चात आवंटित भूमि पर पटवारी हल्का द्वारा मौके पर कब्जा काश्त दिया गया। प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती हेतु पेश किया। जिसकी सुनवाई के दौरान तहसीलदार, चौहटन से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें वादी का कब्जा काश्त बताया गया। परन्तु विचारण न्यायालय ने वादी को आंवटित भूमि के स्थान पर प्रतिवादी के हक में तरमीम करने के आदेश दे दिया। जिसकी निगरानी वादी द्वारा मंडल में प्रस्तुत की गयी। मंडल द्वारा निगरानी में घोषणा का वाद प्रस्तुत करने स्वतंत्र रखा गया। अतः वादी को आवंटित भूमि का खातेदारी घोषित किया जावे। विचारण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4134/2005/बाडमेर निम्बा बनाम मीरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.04 से वादी का वाद स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.05 से अपीलांट की अपील खारिज कर दी। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से ग्रसित होकर यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील में सुनी गयी । योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अपीलांट/प्रतिवादी ने दिनांक 22.01.04 को नो इंन्स्ट्रक्शन प्लीड कर दिये थे फिर भी उसकी उपस्थिति दर्ज कर दी गयी। वादी/रेस्पो0 द्वारा मंडल मं निगरानी पेश की गयी थी उसमें केवल घोषणात्मक वाद करने की इजाजत दी थी जबकि वाद धारा 88 व 188 काश्तकारी अधिनियम में किया गया है। रेस्पो0/वादी धारा 188 काश्तकारी अधिनियम का दावा करने के लिए एस्टोपड है क्योंकि धारा 188 काश्तकारी अधिनियम का दावा पूर्व में खारिज हो गया था। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिये कि अपीलांट/प्रवितादी निम्बाराम का तरमीम का प्रार्थना पत्र दिनांक 11.04.91 का स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध रेस्पो0 ने निगरानी मंडल में प्रस्तुत की जो निरस्त कर दी गयी। विद्वान अभिभाषक ने बहस के अंत में प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4134/2005/बाडमेर निम्बा बनाम मीरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि निर्णय की दिनांक 31.01.04 को अभिभाषक प्रतिवादी उपस्थित थे। यदि दिनांक 22.01.04 को इन्होने नो इन्स्ट्रेक्शन प्लीड कर दिया हो तो भी इनका कर्तव्य था कि प्रतिवादी को सूचित करते। वादी ने अपना दावा साबित किया है। मौका रिपोर्ट दिनांक 31.10.03 भी रेस्पो0 के पक्ष में है। दावा अतंर्गत धारा 88 व 188 काश्तकारी का था। विवादित भूमि के सबंध में मौका रिपोर्ट पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गयी वह भी रेस्पो0/वादी के पक्ष में ही प्रस्तुत की गयी हे। इसी आधार पर वादी/रेस्पो0 विवादित भूमि पर कब्जा काश्त माना गया है। विद्वान अभिभाषक ने बहस के अंत में निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है इसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत रखे जावें । हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमियों के सबंध में दिनांक 07.10.77 को सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा मीरा पुत्र जानू को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने के आदेश पारित किये गये थे। इसके लिए आवश्यक लगान की ढाई गुणा राशि उसके द्वारा राजकोष में जमा करा देने के उपरांत खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व मंडल के स्तर पर विवादित भूमियों से सबंधित एक अन्य प्रकरण में दिनांक 08.7.91 को इस पक्षकार को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4134/2005/बाडमेर निम्बा बनाम मीरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उसके विधिक अधिकारों को तय कराने के लिए विधि अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये थें। जिसके अनुसरणमें उसके द्वारा सबंधित सहायक कलेक्टर न्यायालय में धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में इन विवादित भूमियों के सबंध में जो मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त होकर रिकार्ड पर संलग्न है उसमें सबंधित पटवारी व तहसीलदार द्वारा रेस्पो0/वादी पक्ष का ही विवादित भूमियों पर कब्जा काश्त माना गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व के तरमीम प्रकरण में जो मौका जांच रिपोर्ट मंगवायी गयी थी उसमें भी रेस्पो0/वादी पक्ष का ही कब्जा काश्त पाया गया था। विवादित भूमि के सबंध में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये है जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि व अनियमितता नही पाते है एवं इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 31.01.2004 व 21.06.2005 यथावत रखे जाते है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य** **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	